

9.10.2024

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. समाहित की जा चुकी है। वकील प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य बहस यह रही कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण प्रार्थी द्वारा गलत लक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में पेश किया है। जबकि उक्त खाता संख्या 6/4 मुरबा नम्बर 10 में जाने के लिए प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जो प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। आदेश की प्रभावित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। कानूनन जिस मुरबा में पूर्व में रास्ता स्वीकृत है उसके लिए दूसरा प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति हेतु पेश नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 10. के किला नं. 21 ता 25 कुल 5 बीघा के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त रकबा के किला नं. 1 ता 5 प्रार्थी के नाम से दर्ज इन्द्राज नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र के अभिकथनों के सही होने की अवधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251-ए आर.टी.ए. के प्रार्थी बलदेव सिंह द्वारा खाता संख्या 6/4 के मु.नं. 10 के किला नं. 21 ता 25 कुल 5 बीघा नहरी कृषि भूमि में खातेदार बताया है। जबकि प्रार्थी बलदेव सिंह 25 बीघा कृषि भूमि में सहखातेदार है। प्रार्थी की कृषि भूमि चक 2 एल बड़ा के मुरबा नं. 11 से मुरबा नम्बर 10 हेतु रास्ता 1996 से स्वीकृत है। बलदेव सिंह मु.नं. 10 का सहखातेदार है तो मु.नं. 12 से नया रास्ता रेसजूडिकेटा से प्रभावित होने के कारण प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251-ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर